



## कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

### यूनिपोल साइज 16' X 8' एवं 30' X 15' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : मई 2012

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. जोन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक्-पृथक् साइटों के आधार पर बोली आवंत्रित की जावेगी एवं एक यूनिपोल स्ट्रेक्चर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले 16X8 फीट साइज के तथा 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 जून 2012 से 31 मई 2013) तक के लिए की जावेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जायेगा। स्थीकृत साइट की नीलामी नार निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापन कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर पूर्ववर्ती वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक 16X8 फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए पांच हजार रुपये तथा प्रत्येक 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए 15,000/- रु. बताए अगानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मीके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं आगानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। असफल बोलीदाताओं को जमा अगानता राशि बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मीके पर ही पश्चात् प्रत्येक साइट की स्थीकृत उच्चतम बोलीदाता को तुरन्त बाद बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त नीलामी के पश्चात् राशि में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब तक कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्थीकृत होने पर यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी होने की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति लाईसेन्स जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 16X8 फीट के तथा 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइटों का (01 जून 2013 से 31 मई 2014) तक के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक के पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्थीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का बैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष 16X8 फीट साइज के तथा 30X15 फीट साइज के यूनिपोल साइटों हेतु का नवीनीकरण (01 जून 2014 से 31 मई 2015) तक के नवीनीकरण के लिये विछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्थीकृत जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का बैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्विन्डर्नारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/बैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
5. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्ण शर्त नहीं होगी। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यवहार नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति आपत्ति मान्य नहीं होगी।
6. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तनुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
7. कोई बोलीदात शर्तों की पालना किए विना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अधिकारी आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि के यूनिपोल विना किसी पूर्ण सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
8. लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर यूनिपोल नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्च फर्म से वसूल किया जावेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे मिन रूप से लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा विना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्च फर्म से वसूल किया जावेगा।
- 9.
- 10.

11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से 16'X8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं 30'X15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (रख रखाये) किया जावेगा।
12. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपरितज्ञनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं विजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को बहन करना होगा।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पटट, साइट नम्बर, पटट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से बसूल किया जावेगा।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल का नज़दीकी से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की विधि में यूनिपोल नीचे नहीं पिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल के देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी होगा। स्वीकृत साइट पर अच्युत किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले तुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की रवय की होगी। नगर निगम को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/संघम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम समिति/बोर्ड को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकती।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालन करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निररत किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगा तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका बहन लाईसेंसी को ही करना होगा।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत बसूल की जा सकेगी।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समर्त अनुज्ञापत्रधारियों को मात्र होगा।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवे सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिपिट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिवेदित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां-2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
27. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का होगा जो मात्र होगा।
28. सभी यूनिपोल सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।

**लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)**  
**नगर निगम जयपुर**



## कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

फिल्मी पोस्टर्स साईट्स

नीलामी : मई 2012

जयपुर नगर निगम के सीमा में सिनेमा फिल्मों के पोस्टर्स हेतु विज्ञापन पट्ट स्थलों की स्वीकृति फिल्मी पोस्टर नीलामी निम्न शर्तों पर दी जायेगी।

1. विज्ञापन पट्ट निगम द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार लगाये जावेंगे। विज्ञापन पट्टों का आकार 10 फीट ऊँचाई एवं 10 फीट लम्बाई का होगा एवं सड़क सतह से 17 फीट से ऊँचा नहीं होगा एवं नगर निगम द्वारा निर्धारित डिजाईन अनुसार ही बनाना होगा।
2. फिल्मी पोस्टर हेतु विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 जून 2012 से 31 मई 2013 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. ऐसे सभी पट्ट सड़क के साथ की दीवारों के समानान्तर दीवार के अधिकतम निकटस्थ, स्थल पर लगाये जायेंग। ऐसे विज्ञापन पट्टों को स्थापित करने फिल्मी पोस्टर्स लगाने की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकृति लाईसेन्सी की होगी।
4. सूची अनुसार निर्धारित सभी फिल्मी पोस्टर्स साईट्स की नीलामी विज्ञापित सूचना अनुसार एक ही बोली द्वारा (सभी स्थानों के लिए एक बोली) की जायेगी। नीलामी बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म को रु. 50,000/- अक्षरे पचास हजार रुपये नकद अमानता के रूप में निगम में मौके पर जमा कराने होंगे। स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि लाईसेन्स की अवधि तक निगम कोष में जमा रहेंगे एवं शेष एवं शेष असफल बोलीदाता को मौके पर अमानता राशि वापस कर दी जायेगी।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर फिल्मी पोस्टर साईट्स पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 जून 2013 से 31 मई 2014 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाले राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 जून 2014 से 31 मई 2015 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. ऐसे विज्ञापन पट्टों के लाईसेंसधारी की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे स्वीकृत विज्ञापन पट्टों के अलावा अन्य किसी स्थान पर फिल्मों के पोस्टर न लगे। बिना स्वीकृत पट्टों के अलावा अन्य स्थान पर फिल्मों के पोस्टर लगते हैं तो लाईसेंसधारी को स्वयं के खर्चे पर उन्हें 24 घण्टे के अंदर हटवाना होगा। उपयुक्त स्वीकृत पट्टों के अलावा अन्य स्थानों पर लगे फिल्मी पोस्टर्स सूचना के 24 घण्टे के बाद भी लगे रहे तो अनुज्ञापत्रधारी से रुपये 100 प्रति पोस्टर्स प्रतिदिन जुमाने के रूप में वसूल किये जायेंगे।
7. अनुज्ञापत्रधारी को इन विज्ञापन पट्टों पर केवल सिनेमा फिल्मों के पोस्टर लगाने का अधिकार होगा। अश्लील भद्दे पोस्टर लगाना पूर्णतः वर्जित होगा अन्यथा अनुज्ञापत्रधारी के हर्जे-खर्चे पर निगम उसे हटवा देगा। लाईसेंस अवधि के दौरान अनुज्ञापत्रधारी को निगम की विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 का पालन करना होगा।

8. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा की वह विज्ञापन पट्ट को मजबूती से स्थापित करें ताकि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी, तुफान आदि की स्थिति में पट्ट गिरे नहीं। पट्ट इस प्रकार लगाया जावे कि साईट का कोई भाग पट्ट से बाहर नहीं निकले तथा इससे यातायात में कोई बाधा न हो एवं स्ट्रेक्चर सफेद रंग से अच्छी हालत में रहें।
9. उन पट्टों पर नियोन/विधुत चलित प्रकाशित बोर्ड नहीं बनाया जायेगा।
10. अनुज्ञापत्रधारी को जयपुर नगर निगम की विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 द्वारा प्रावधानों के तहत समय—समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पालन करना होगा।
11. लाईसेंस की अवधि समाप्त होने पर साईड स्थल पर निगम का कब्जा माना जावेगा तथा अवधि समाप्ति के बाद यदि स्थल पर साईट/बोर्ड लगा रहता है तो निगम द्वारा उसे जप्त किया जायेगा।
12. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि कोई बोर्ड गिर जाते हैं तो उन्हें 24 घण्टे के अंदर-अंदर हटाना होगा अन्यथा निगम द्वारा स्वयं हटाकर उसका हर्जा-खर्च वसूलने का निगम को पूरा अधिकार होगा।
13. अनुज्ञापत्रधारी को इन शर्तों की पूर्ण पालना करनी होगी एवं इसमें से किसी भी शर्त का उसके द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त करने, क्षतिपूर्ति वसूलने तथा अनुज्ञाधारी की समस्त साईटों तत्काल हटाने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. किसी अपरिहार्य कारणों से सार्वजनिक हित में यदि आवश्यक हुआ तो निगम को बिना सूचना के किसी भी विज्ञापन पट्ट को हटाने, कम करने, स्थान परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। स्थान परिवर्तन निर्देशानुसार स्वयं अनुज्ञापत्रधारी को करना होगा। यदि कोई साईट हटायी/कम की जायेगी तो उसकी अनुमानित राशि अनुज्ञापत्रधारी को लौटाई जायेगी। इसके अलावा अन्य कोई हर्जा-खर्च निगम द्वारा नहीं दिया जायेगा।
15. ऐसे पट्टों पर पोस्टर लगाने की पूरी जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी। सरकारी बांधा के अलावा अन्य किसी बांधा के लिए निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बोर्ड की सुरक्षा का पूरा दायित्व स्वयं अनुज्ञापत्रधारी का होगा।
16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एकट के तहत वसूल की जा सकेगी।
17. शर्तों में किसी समय परिवर्तन/संशोधन का अधिकार निगम में निहित होगा तथा ऐसा परिवर्तन/संशोधन सभी को मान्य होगा।
18. लाईसेंस स्वीकृति के पश्चात् अगर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार कोई कर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लगाती है तो वह लाईसेंसी को ही देना होगा, निगम इसका वहन नहीं करेगी।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)  
नगर निगम जयपुर



## कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

### ओवर हैड साईनेज की शर्तें

नीलामी : मई 2012

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ओवर हैड साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाइसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 जून 2012 से 31 मई 2013 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाइसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अधिक 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रूपये 20,000/- अक्षरे (बीस हजार रुपये मात्र) प्रति ओवर हैड साईनेज अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अधिक समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जायेगी तथा ओवर हैड साईनेज की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे ओवर हैड साईनेज पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाइसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित ओवर हैड साईनेज में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं एक तरफ दिशा सूचक प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं एक निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
5. ओवर हैड साईनेज पर लगे दिशा सूचक साईनेज पर यदि मिशन अनुपम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं फर्म का नाम है तो उसे हटाकर उसके स्थान पर जयपुर नगर निगम व जयपुर नगर निगम का लोगो लगाना होगा। साईनेज रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट जो blue Color, Color No. 66 French blue as per 1.515 व अक्षर सफेद कलर में होगी।
6. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाइसेंसी को बहन करना होगा।
7. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाइसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाइसेंसी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।
8. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ओवर हैड साईनेज पर विज्ञापन करने का लाइसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। अन्यथा लाइसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। आगामी वर्ष 01 जून 2013 से 31 मई 2014 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाइसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाइसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष 01 जून 2014 से 31 मई 2015 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।

9. ओवर हैड साईनेज पर प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेन्सधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओवर हैड साईनेज पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा तो उसे तुरंत हटाया जावेगा। यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
10. लाईसेन्स अवधि में ओवर हैड साईनेज की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। ओवर हैड साईनेज विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जाहा है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी ओवर हैड साईनेज में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के हर्जे पर ठीक करवाना होगा। ओवर हैड साईनेज का रखरखाव दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। ओवर हैड साईनेज का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
11. अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (ओवर हैड साईनेज सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी।
12. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
13. जनहित/यातायात में बाधक होने पर ओवर हैड साईनेज को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेन्सी द्वारा अपने खर्चे पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा। 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को ओवर हैड साईनेज शिफ्ट करना होगा।
14. अगर कोई ओवर हैड साईनेज जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिवधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ—2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि बाप्सिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
15. किसी विवाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का निर्णय अंतिम व सभी को मान्य होगा।
16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
18. समय—समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)  
नगर निगम जयपुर



## कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

### बस शैल्टर्स की शर्तें

नीलामी : मई 2012

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए बस शैल्टर्स पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाइसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 जून 2012 से 31 मई 2013 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाइसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाइ जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रूपये 20,000/- अक्सरे (बीस हजार रुपये मात्र) प्रति शैल्टर्स अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाइ जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त भौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा बस शैल्टर्स की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे बस शैल्टर पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाइसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्भित बस शैल्टर में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं निर्धारित स्थल पर जयपुर सिटी का मानवित्र प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
5. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाइसेंसी को वहन करना होगा।
6. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाइसेंसी ऑफिरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाइसेंसी के हर्जे-खर्च पर हटवा देंगे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर बस शैल्टर्स पर विज्ञापन करने का लाइसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। अन्यथा लाइसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। आगामी वर्ष 01 जून 2013 से 31 मई 2014 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाइसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाइसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष 01 जून 2014 से 31 मई 2015 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।

8. बस शैल्टर पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेन्सरी का होगा । इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । बस शैल्टर्स पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा तो उसे तुरंत हटाया जावेगा । यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा ।
9. लाईसेन्स अवधि में बस शैल्टर की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी । बस शैल्टर्स विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जाहा है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है । विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शैल्टर में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा । शैल्टर्स का स्ट्रेकचर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा । बस शैल्टर का सामान घोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी ।
10. अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (बस शैल्टर सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी । शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी ।
11. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा ।
12. जनहित/यातायात में बाधक होने पर बस शैल्टर को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेन्सी द्वारा अपने खर्च पर शिफ्ट करना होगा । इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा । 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को बस शैल्टर शिफ्ट करना होगा ।
13. अगर कोई बस शैल्टर जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी ।
14. किसी विवाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का निर्णय अंतिम व सभी को मान्य होगा ।
15. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी ।
16. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा ।
17. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा ।

लाईसेन्सिंग ऑर्थोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)  
नगर निगम जयपुर



## कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

### द्राईएंग्यूलर साइनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : मई 2012

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले द्राईएंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. नगर निगम क्षेत्र में स्थित द्राईएंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स के लिए एकजाई साइटों के आधार पर बोली आमत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले द्राईएंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एक वर्ष (01 जून 2012 से 31 मई 2013) तक के लिए की जायेगी, जिसकी स्वीकृत सूची के अनुसार होगी। अनुज्ञापन नीलामी के आधार पर पर्याप्ति लाईसेन्स फीस पर किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापन प्रक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक के द्राईएंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स प्रति साइट के लिए 5,000/- रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा करने होंगे। उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समावेशित की जायेगी। जिस फर्म ने नीलामी में कोई साइट नहीं ली है उसको अमानता राशि नीलामी के पश्चात् वापिस कर दी जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. नीलामी के पश्चात् एकजाई साइट्स की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त भीके पर ही निगम कोष में जमा करनी होगी। इसमें असकल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा करने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर द्राईएंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का चैक लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करना होगा। आगामी वर्ष 01 जून 2013 से 31 मई 2014 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व अर्थात् 60 दिवस में नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा करना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जायेगी। इस प्रकार वर्ष 01 जून 2014 से 31 मई 2015 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा करना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जायेगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं अमानता राशि जब कर ली जायेगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् द्राईएंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। द्राईएंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि द्राईएंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने में कोई आपत्ति या व्यवहार नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मात्र नहीं होगी।
7. द्राईएंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट की साईट त्रियुज (तीनों तरफ) 3'X10' फुट होगी जिसमें 3'X6' फुट (तीन तरफ) विज्ञापन, 3'X2' फुट (तीन तरफ) घड़ी व तापमान एवं 3'X2' फुट (तीन तरफ) नगर निगम स्लोगन एवं बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चों लाईसेन्सी को बहन करना होगा।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा करने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
9. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना द्राईएंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं लगायेगा। द्राईएंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। द्राईएंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समरत राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के द्राईएंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाए जाने का अधिकार होगा।
10. लाईसेन्स अवधि समाप्ति पर द्राईएंग्यूलर साइनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्चों फर्म से वसूल किया जायेगा।

11. द्राईरेंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये द्राईरेंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हजारी-खचारी फर्म से वसूल किया जावेगा।
12. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की बृष्टि से द्राईरेंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स का निर्माण निगम द्वारा यह के अनुसार करना होगा इससे भिन्न डिजाइन बनाने पर द्राईरेंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने से पूर्व डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार बनाना होगा एवं इनका संदार्भ (खचाव) किया जावेगा।
13. द्राईरेंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अशील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं कोई कोरेशन व बिल का भुगतान लाइसेन्सी को बहन करना होगा।
14. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक द्राईरेंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर द्राईरेंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेवर चार्ज अनुज्ञापत्रारी से वसूल किया जावेगा।
15. अनुज्ञापत्रारी का यह दायित्व होगा कि द्राईरेंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में द्राईरेंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि द्राईरेंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। द्राईरेंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले तुकसान की भराई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रारी की स्थिति की होगी। नगर निगम को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रारी नगर निगम जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/संघम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करें।
17. प्रत्येक अनुज्ञापत्रारी, अनुज्ञापत्र की अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। उन आदेशों की अपील नगर निगम की संघम समिति/बोर्ड को की जा सकी जिसका निर्णय अंतिम होगा।
18. किसी प्राकृतिक अपदान से यदि अनुज्ञापत्रारी के द्राईरेंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकती।
19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राज्य (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) का साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा आप कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय हैं अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका बहन लाईसेंसों को ही करना होगा।
22. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की वकाया राशि अनुज्ञापत्रारी से नगरपालिका अधिनियम-2008 एवं राजस्व भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पो.डी.आर. के तहत बसूल की जा सकती।
23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रारियों को मान्य होगा।
24. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।
25. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिपट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार समय के खर्च पर करना होगा।
26. अगर कोई द्राईरेंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिवेदित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे तो समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
27. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित संघम न्यायालय में होगा।
28. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का होगा जो मान्य होगा।
29. सभी द्राईरेंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)  
नगर निगम जयपुर



## कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

### फलाई ओवर बेस कॉलम (फलाई ओवर के खम्बे) पर विज्ञापन करने की शर्तें

नीलामी : मई 2012

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए फलाई ओवर बेस कॉलम (फलाई ओवर के खम्बे) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 जून 2012 से 31 मई 2013 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से खासा कोठी फलाई ओवर बेस कॉलम के 8 खम्बों की अमानता राशि 20,000/- रु. एवं टॉक रोड गोपालपुरा फलाई ओवर के बेस कॉलम के 4 खम्बों की अमानता राशि 10,000/- रु. निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समात्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जायेगी तथा फलाई ओवर बेस कॉलम (फलाई ओवर के खम्बे) की पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. खासा कोठी फलाई ओवर के नीचे बेस कॉलम्स (आठ खम्बों) एवं गोपालपुरा फलाई ओवर के नीचे बेस कॉलम्स (चार खम्बों) पर विज्ञापन किया जा सकेगा लेकिन लाईसेंसी का यह दायित्व रहेगा कि स्वीकृत खम्बों के अतिरिक्त अन्य खम्बों पर विज्ञापन नहीं करे एवं अन्य किसी को भी विज्ञापन नहीं करने देवे, अवैध पोस्टर्स, बैनर्स, वॉलपैटिंग भी नहीं होने देवे, किसी के द्वारा उक्त तरह अथवा अन्य तरह से अवैध विज्ञापन करने पर लाईसेंसी द्वारा अवैध विज्ञापनों को हटवाया जा सकेगा/खम्बों को पुतवाया जा सकेगा। खम्बों को मूल स्वरूप में रखने की जिम्मेदारी भी संबंधित लाईसेंसी की ही होगी। विज्ञापन बोर्डों की सुरक्षा एवं संधारण की जिम्मेदारी भी संबंधित लाईसेंसी की होगी।
5. निगम सीमा में लगे फलाई ओवर बेस कॉलम (फलाई ओवर के खम्बे) पर खम्बे के ऊपरी भाग से 2 फुट छोड़कर एवं रोड तल से 3 फुट छोड़कर पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा। निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित फलाई ओवर बेस कॉलम (फलाई ओवर के खम्बे) पर निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा। स्थान संलग्न सूची व नवर्ण अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
6. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से फलाई ओवर बेस कॉलम (फलाई ओवर के खम्बों) पर विज्ञापन करने से पूर्व डिजाइन व स्पेशिफिकेशन अधिशासी अभियन्ता (सुख्यालय) नगर निगम जयपुर से स्वीकृत करवाना होगा तत्पश्चात् ही विज्ञापन बोर्ड लगाया जा सकेगा।
7. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
8. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।

9. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बे) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का चैक लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 जून 2013 से 31 मई 2014 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष 01 जून 2014 से 31 मई 2015 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
10. फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बे) पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बे) पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा तो उसे तुरंत हटाया जावेगा। यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा। लाईसेंस अवधि में फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बे) परकी पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेंसी की होगी। फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बे) पर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बे) पर किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। समस्त फ्लाई ओवरों का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बे) पर का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।
11. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बे) परसही हालत में) होने पर लाईसेंसी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी।
12. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
13. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/सरकार/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी विज्ञापन को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो लाईसेंसी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
14. किसी विवाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का निर्णय अंतिम व सभी को मान्य होगा।
15. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
16. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
17. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।
- 18.

लाईसेंसिंग ऑफिसिटी एवं आयुक्त (राजस्व)  
नगर निगम जयपुर



## कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

### पुलियाओं/ROB फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन करने की शर्तें

नीलामी : मई 2012

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों पर बनी हुयी निर्मित पुलियाओं (आर.ओ.बी. एवं फ्लाईओवर) पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित पुलियाओं पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन करने का अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार किया जावेगा।
2. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 जून 2012 से 31 मई 2013 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी सूची अनुसार एकजाइ की जावेगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 25,000/- अक्षरे (पच्चीस हजार रुपये मात्र) पुलियाओं/ ROB की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
5. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. निगम सीमा में पुलियाओं/ROB के डिवाईडर पर दो बिजली खम्बों के बीच दो फ्लावर पोटों (गमलों) में पेड़/पौधे (सुन्दर फुलों के) लगाने होंगे जिनमें से एक पोट पर निगम का स्लोगन एवं एक पोट पर फर्म द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा। फ्लावर पोटों का साईज 2'X3' का होगा। निर्मित पुलियाओं पर लगे फ्लावर पोटों (गमलों) पर चारों ओर विज्ञापन/स्लोगन किया जायेगा।
7. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। पुलियाओं/ROB में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
8. पुलियाओं/ROB पर लगाने वाले गमले, पेड़/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग-रोगन व चित्रकारी आदि लाईसेंसधारी को कराना होगा एवं उनका संधारण भी लाईसेंसधारी को करना होगा। निगम विज्ञापन में नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित स्लोगन का विशेष ध्यान रखना होगा।
9. फ्लावर पोट (गमलों) एवं पेड़/पौधों का रख-रखाव सही नहीं होने पर एवं विज्ञापन उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 शर्तोंनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, पोटों पर लगे विज्ञापन को निगम द्वारा हटवा दिया जायेगा।

10. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन—पटट को लाईसेन्सी के हर्जे—खर्चे पर हटवा देंगे।
11. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का चैक लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। आगामी वर्ष 01 जून 2013 से 31 मई 2014 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष 01 जून 2014 से 31 मई 2015 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर नीलामी निरस्त कर दी जावेगी एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
12. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों), पेड़/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग—रोगन, चित्रकारी एवं प्रदर्शित विज्ञापन/श्लोगन की देखभाल एवं रख—रखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पुलियाओं पर रखे पोटों में पेड़—पौधे सही तरीके से हरे—भरे रखने होंगे एवं समय पर उनमें पानी, खाद्य देने की एवं समस्त रख—रखाव की जिम्मेदारी लाईसेंसधारी की होगी। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी पोट में किसी प्रकार की टूट—फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं की हर्जे पर ठीक करवाना होगा। पोट दुरुस्त हालत में रंग—रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा।
13. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (पोटों को सही हालत में सम्माने पर) होने पर लाईसेंसी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
14. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
15. अगर कोई फ्लावर पोटों (गमलों) को जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या बी.आर.टी.एस. रोड/मेट्रो परियोजना के कारण या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
16. किसी विवाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का निर्णय अंतिम व सभी को मान्य होगा।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
18. समय—समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया गया कर अथवा भविष्य में लगने वाला कर का वहन लाईसेंसधारी को ही करना होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)  
नगर निगम जयपुर



## कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

### निर्मित श्रमिक शैल्टर की शर्तें

नीलामी : मई 2012

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए श्रमिक शैल्टस पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाइसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 जून 2012 से 31 मई 2013 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाइसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत बुद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी सूची अनुसार 7 (सात) श्रमिक शैल्टरों की नीलामी एकजाई होगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 70,000/- अक्षरे (सत्तर हजार रुपये मात्र) श्रमिक शैल्टर्स अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं करने पर अमानता राशि जत्त कर ली जायेगी तथा श्रमिक शैल्टर्स की पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अर्थात् घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे श्रमिक शैल्टस पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाइसेंसी को अधिकार होगा, नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित श्रमिक शैल्टस में निर्धारित 50'X4' फीट साइज का 1 (एक) 'ग्लोसाईन बोर्ड' व 10'X4' फीट साइज के 3 (तीन) 'ग्लोसाईन बोर्ड' पर विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
5. बिजली कनेक्शन व पानी कनेक्शन कराने व बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाइसेंसी को वहन करना होगा।
6. विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाइसेंसी ऑफोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाइसेंसी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देवे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर श्रमिक शैल्टर्स पर विज्ञापन करने का लाइसेंस जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का चैक लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। आगामी वर्ष 01 जून 2013 से 31 मई 2014 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाइसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाइसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जायेगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी।

8. श्रमिक शैल्टर पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेन्सधारी का होगा । इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । श्रमिक शैल्टर पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जायेगा एवं इन्हें लाइसेंसी द्वारा तुरंत हटाया जायेगा । यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा ।
9. लाईसेन्स अवधि में श्रमिक शैल्टर की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेंसी की होगी । श्रमिक शैल्टर पर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहा है जैसी स्थिति में है की शर्त पर दिया जा रहा है । विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शैल्टर में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा । शैल्टर का स्ट्रेकचर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा । श्रमिक शैल्टर का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी ।
10. श्रमिक शैल्टर में श्रमिकों के बने शौचालय व वाटर कूलर की देखभाल, टूट-फूट व रख-रखाव का दायित्व लाईसेन्सधारी का होगा । लाईसेन्स अवधि के दौरान किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा स्वयं के हर्जे-खर्च पर ठीक कराना होगा । शैल्टर की सुविधाओं को दुरुस्त हालत में रखना होगा । कोई सामान इत्यादि चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी । अमानता राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (श्रमिक शैल्टर सही हालत में) होने का प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) नगर निगम जयपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर लाईसेंसी को लौटाई जायेगी । शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्ता की जा सकेगी ।
11. लाईसेन्सधारी को प्रत्येक 3 (तीन) माह में अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) से श्रमिक शैल्टर को सही हालात में रख-रखाव करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
12. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा ।
13. जनहित/यातायात में बाधा होने पर श्रमिक शैल्टर को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा । इसमें लाईसेंसी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा ।
14. अगर कोई श्रमिक शैल्टर जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जायेगी ।
15. किसी विवाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का निर्णय अंतिम व सभी को मान्य होगा ।
16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एकट के तहत वसूल की जा सकेगी ।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा ।
18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा ।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)  
नगर निगम जयपुर



**कार्यालय नगर निगम, जयपुर**  
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

**यूनिपोल नीलामी सूची, मई 2012**

**साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट**

**मोतीदूंगरी जोन**

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	MDZ-02	16' X 8'	टॉक रोड, अशोक मार्ग, स्लिप लाईन पर एमजीडी स्कूल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
2.	MDZ-03	16' X 8'	टॉक रोड, अशोक मार्ग, तिरहा एमजीडी स्कूल की दीवार के पास बने स्लिप लाईन पर साईट सं. मोतीदूंगरी जोन-2 से 60 फुट दूर अशोक मार्ग की ओर दीवार के समानांतर।	
3.	MDZ-05	16' X 8'	टॉक रोड, महारानी कॉलेज की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर, स्लिप लाईन पर वि.प.नं. 2	
4.	MDZ-06	16' X 8'	अशोक मार्ग, जय कलब की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर दौरा हुए।	
5.	MDZ-10	16' X 8'	टॉक रोड, सूचना केन्द्र के सामने आरोग्य मार्ग के उत्तरी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर।	
6.	MDZ-15	16' X 8'	टॉक रोड, नारायण सिंह तिरहा तोतुका भवन की दीवार के पास फुटपाथ पर अजमेरी गेट की ओर से समानांतर वि.प.नं.2	निरस्त वित्त समिति में प्रस्तावित
7.	MDZ-25	16'X8'	टॉक रोड, रामदाव चक्रिल सुबोध कॉलेज की दीवार के सहारे फुटपाथ पर समानांतर अजमेरी गेट की ओर से वि.प.नं. 3	
8.	MDZ-31	16'X8'	टॉक रोड, सौभ्य मार्ग के कोने पर नेहरू बालोद्यान के बाउण्ड्रीबाल के सहारे।	
9.	MDZ-32	16'X8'	मालवीय नगर, अपेक्ष सक्रिल के उत्तरी पश्चिमी कोने पर कैलगिरी की ओर से वि.प.नं. 1	
10.	MDZ-40	30' X15'	शांति पथ, तिलक नगर बिडला मंदिर के पीछे सक्रिल के पास संजय कच्ची बस्ती और जाने वाले रास्ते के कोने पर।	साईज 16'X8' से 30'X15' वित्त समिति में प्रस्तावित
11.	MDZ-41	16' X 8'	शांति पथ, तिलक नगर बिडला मंदिर के पीछे सक्रिल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
12.	MDZ-42	16' X 8'	शांति पथ तिलक नगर बिडला मंदिर के पीछे सक्रिल पर यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे फुटपाथ पर वि.प.नं. 2	
13.	MDZ-43	16' X 8'	शांति पथ, तिलक नगर टंकी के सामने, यूनिवर्सिटी की दीवार के पास बने ट्रांसफार्मर के पास समानांतर।	
14.	MDZ-46	16' X 8'	गोविन्द मार्ग धर्मसिंह सक्रिल से पहले पार्क के कोने पर।	
15.	MDZ-47	16' X 8'	मोतीदूंगरी रोड, धर्मसिंह सक्रिल पर दक्षिणी-पूर्वी कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे गोविन्द मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.नं. 1	
16.	MDZ-48	16' X 8'	मोतीदूंगरी रोड, धर्मसिंह सक्रिल पर दक्षिणी-पूर्वी कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे गोविन्द मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.न. 2	
17.	MDZ-49	16' X 8'	मोतीदूंगरी रोड, धर्मसिंह सक्रिल पर दक्षिणी पश्चिमी कोने पर फुटपाथ पर पार्क की दीवार के सहारे।	निरस्त वित्त समिति में प्रस्तावित
18.	MDZ-55	16'X8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग त्रिमूर्ति सक्रिल, मूक बंधिर स्कूल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	

### मोतीखूंगरी जोन

क्र. सं.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
19.	MDZ-56	16X8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, गांधी सर्किल यूनियर्सिटी की दीवार के समानान्तर महात्मा गांधी रोड की ओर फुटपाथ पर।	SIZE 16X8'
20.	MDZ-57	30' X 15'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटोएस चौराहे के पास पश्चिमी दक्षिणी कोने पर।	SIZE CHANGE
21.	MDZ-58	16'X8'	उपरोक्त के सामने एम.एन.आई.टी. दीवार के पास समानान्तर।	
22.	MDZ-59	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले एम.एन.आई.टी. की कम्पाउण्ड की दीवार के समानान्तर मालवीय नगर की ओर से वि.प.न.।	
23.	MDZ-64	16'X8'	एम.आई. रोड रंगनंब के गेट के सामने रामनिवास बाग की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	
24.	MDZ-65	16'X8'	एम.आई. रोड जैम सिनेमा के सामने रामनिवास बाग के गेट के पश्चिमी ओर बाग की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	
25.	MDZ-66	16'X8'	एम.आई. रोड सरावणी मैदान के पास बने मंदिर की पूर्वी दीवार के पास फुटपाथ पर।	
26.	MDZ-67	16' X 8'	एम.आई. रोड रामलीला मैदान के पास बने मंदिर की पूर्वी दीवार के पास फुटपाथ पर सांगानी गुट देखते हुए।	
27.	MDZ-68	16' X 8'	टॉक रोड, रिल्ज बैंक के पास तर्के शाही रोड के उत्तरी कोने पर।	
28.	MDZ-69	30' X 15'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, रामनिवास बाग के दक्षिणी गेट के पास पश्चिम की ओर।	निरस्त वित्त समिति में प्रस्तावित
29.	MDZ-73	16' X 8'	हिम्मत नगर आर.ओ.बी. (भास्कर के पास) से गांधी नगर स्टेशन रोड पर सरस पार्लर के सामने रेलवे दीवार के पास फुटपाथ पर।	NEW
30.	MDZ-75	30' X 15'	बजाज नगर रनकलेव स्कीम के सामने रेलवे क्वार्टर के बाहर रेलवे दीवार के पास सरस डेयरी देखते हुए।	NEW
31.	MDZ-78	16' X 8'	जवाहर नगर सैक्टर-7 के पास बने सुलभ शौचालय के बाहर कोने पर फुटपाथ पर।	NEW
32.	MDZ-79	30' X 15'	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड, रिलायन्स पैट्रोल पम्प से थोड़ा आगे मंदिर की दिवार के पास।	साईज 16'X8' से 30X15' वित्त समिति में प्रस्तावित
33.	MDZ-80	16' X 8'	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड, जगतपुरा ROB से पहले बन विभाग की दिवार के पास बने फुटपाथ पर ROB देखते हुए।	NEW
34.	MDZ-81	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, बजाज नगर रोड के सामने वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र के बाहर फुटपाथ पर समानान्तर।	NEW
35.	MDZ-82	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, OTS चौराहा, पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर स्लाइट संरच्चया MDZ-57 के पास भास्कर की ओर दीवार के समानान्तर।	निरस्त वित्त समिति में प्रस्तावित
36.	MDZ-83	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, आरोग्य मार्ग के सामने, रेजीडेंट डॉक्टर हॉस्टल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	NEW
37.	MDZ-84	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, मुख्यधीर स्कूल के दक्षिण गेट के पास।	NEW
38.	MDZ-85	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, मालवीय नगर पुलिया के पहले MNIT की दीवार के पास।	NEW
39.	MDZ-86	30' X 15'	जगतपुरा ROB के पास, जगतपुरा रेलवे फाटक रेलवे दीवार के पास मालवीय नगर देखता हुआ।	NEW
40.	MDZ-87	30' X 15'	जगतपुरा ROB के पास, रेलवे प्लेटफॉर्म के सामने निर्माणाधीन मंगलम् बाजार के कोने पर जगतपुरा देखता हुआ।	NEW
41.	MDZ-88	30' X 15'	हिम्मत नगर ROB (भास्कर के पास) गांधी नगर स्टेशन रोड पर रेलवे दीवार के पास OTS देखता हुआ।	निरस्त वित्त समिति में प्रस्तावित



## कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, मई 2012

साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

विद्याधर नगर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	VDZ- 03	16' X 8'	झोटवाडा रोड, पीतल फैक्ट्री के सामने मंदिर के पास पूर्व की ओर।	
2.	VDZ- 07	16'X8'	झोटवाडा रोड, सुभाष नगर जाने वाले रोड के पूर्वी कोने पर सुभाष नगर की ओर से वि.प.नं. 1	
3.	VDZ- 08	16'X8'	झोटवाडा रोड, सुभाष नगर जाने वाले रोड के पूर्वी कोने पर सुभाष नगर की ओर से वि.प.नं. 2	
4.	VDZ-11	16'X8'	शास्त्री नगर, कावंटिया सर्किल के दक्षिणी पूर्वी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
5.	VDZ- 10	16' X 8'	बनीपार्क, माधोसिंह सर्किल पर पूर्वी उत्तरी कोने पर सर्किल देखते हुए।	
6.	VDZ- 13	16' X 8'	शास्त्री नगर, कावंटिया सर्किल के दक्षिणी पूर्वी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 2	
7.	VDZ-14	16' X 8'	विद्याधर नगर निर्माण विहार सै. 3 के आगे सिने स्टार चौराहे के पास दक्षिणी-पश्चिमी ओर	
8.	VDZ-15	16' X 8'	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयंती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
9.	VDZ-20	16' X 8'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल के पास, गणपति टावर्स के तिराहे के टी-पोइंट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.नं.1	
10.	VDZ-21	16'X8'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल के पास, गणपति टावर्स के तिराहे के टी पोइंट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.नं. 2	
11.	VDZ-22	16' X 8'	विद्याधर नगर, उपरोक्त तिराहे पर ही उत्तर पूर्व पर बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.नं. 2	
12.	VDZ-23	16'X8'	विद्याधर नगर, उपरोक्त तिराहे पर ही उत्तर पूर्व पर बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.नं. 1	
13.	VDZ-25	16' X 8'	विद्याधर नगर, नया खेडा के पास खण्डेलवाल टावर्स के पास चौराहे पर अग्रवाल कैटर्स के पास उत्तरी-पश्चिमी कोने पर।	
14.	VDZ-27	16'X8'	अम्बाबाड़ी सर्किल पर उत्तरी पूर्वी कोने पर।	
15.	VDZ-37	16'X8'	विद्याधर नगर, सर्किल सै. 5 पर उत्तरी पूर्वी कोने पर सै. 6 में बने प्लेट्स की दीवार के पास।	
16.	VDZ-39	16'X8'	विद्याधर नगर, पुराने विद्याधर सर्किल पर पश्चिमी उत्तरी कोने पर।	
17.	VDZ-41	16' X 8'	कलेक्ट्री सर्किल, पर पुराने तहसील भवन की दीवार के समानांतर।	
18.	VDZ-42	16'X8'	कलेक्ट्री सर्किल, होटल जयपुर अशोक की दीवार के समानांतर जयसिंह हाईवे की ओर।	
19.	VDZ-44	16'X8'	कलेक्ट्री सर्किल कबीर मार्ग के कोने पर दीवार के समानांतर।	
20.	VDZ-45	30' X 15'	जयसिंह हाईवे रोड, फायर स्टेशन, चिंकारा केंटीन के सामने तिराहे पर।	SIZE CHANGE

**विद्याधर नगर जोन**

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
21.	VDZ-47	16' X 8'	झोटवाडा रोड, चांदपोल श्मशान घाट गेट के पास बने हाजरीगाह की दीवार के पास चांदपोल देखते हुए।	NEW
22.	VDZ-50	30' X 15'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल से आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के टी-पोईंट पर फुटपाथ पर फन सिनेमा देखते हुए।	NEW
23.	VDZ-51	16' X 8'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल से आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के पश्चिमी-उत्तरी कोने के फुटपाथ पर।	NEW
24.	VDZ-52	16' X 8'	विद्याधर नगर रोड, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-उत्तरी कोने के फुटपाथ पर।	NEW
25.	VDZ-53	16' X 8'	विद्याधर नगर रोड, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-दक्षिणी कोने के फुटपाथ पर।	NEW
26.	VDZ-54	16' X 8'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल के दक्षिणि पूर्वी कोने के फुटपाथ पर नया खेडा के सामने।	NEW
27.	VDZ-57	30' X 15'	विद्याधर नगर स्वर्ण जयंती पार्क के पास बने सुलभ शैचालय की दीवार के समानान्तर कांवटिया सर्किल देखते हुए।	NEW
28.	VDZ-58	30' X 15'	चिंकारा कैन्टीन के सामने साईट संख्या VDZ-45 के पास चिंकारा कैंटीन की ओर सर्किल देखते हुए।	NEW
29.	VDZ-59	30' X 15'	बलैकट्री सर्किल, अशोक होटल की दीवार के पास फुटपाथ पर शिव मार्ग की ओर।	नई साइट वित्त समिति में प्रस्तावित

✓



**कार्यालय नगर निगम, जयपुर**  
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, मई 2012  
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट  
मानसरोवर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	MSZ-01	16' X 8'	गोपालपुरा बाईपास, परमहंसधाम के सामने दक्षिणी ओर आर.ओ.बी. देखते हुए।	
2.	MSZ-02	16' X 8'	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट के पास संतोष नगर देखते हुए, मार्केट के पूर्वी कोने पर।	निरस्त वित्त समिति में प्रस्तावित
3.	MSZ-03	16' X 8'	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट के पश्चिमी कोने पर गुर्जर की थड़ी देखते हुए।	
4.	MSZ-04	16' X 8'	मानसरोवर, शिप्रा पथ पर मोहन नगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पॉइंट पर गोपालपुरा रोड देखते हुए समानांतर वि.प.नं. 1	
5.	MSZ-05	16' X 8'	मानसरोवर, शिप्रा पथ पर मोहन नगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पॉइंट पर गोपालपुरा रोड देखते हुए समानांतर वि.प.नं. 2	
6.	MSZ-06	30' X 15'	मानसरोवर, मोहन नगर पुलिया के उत्तरी कोने पर त्रिवेणी नगर की ओर गोपालपुरा रोड देखते हुए।	साईज 16'X8' से 30'X15' वित्त समिति में प्रस्तावित
7.	MSZ-07	16' X 8'	मानसरोवर, वीर तेजाजी चौराहा मध्यम मार्ग, चौराहे के उत्तरी पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुए।	
8.	MSZ-08	16' X 8'	मानसरोवर, वीर तेजाजी चौराहे पर ही दक्षिण पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुए।	
9.	MSZ-09	16' X 8'	मानसरोवर, वीर तेजाजी चौराहा मध्यम मार्ग, चौराहा के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर चौराहा देखते हुए।	
10.	MSZ-10	16' X 8'	मानसरोवर, अग्रवाल फार्म एसएफएस चौराहे पर दक्षिणी पूर्वी कोने पर।	
11.	MSZ-11	16' X 8'	मानसरोवर, शिप्रा पथ महारानी फार्म जाने वाले रास्ते पर दक्षिणी स्लीप लाइन के पास ही वि.प.नं. 2	
12.	MSZ-12	16' X 8'	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पूर्वी उत्तरी कोने पर दुर्गापुरा देखते हुए।	
13.	MSZ-13	16' X 8'	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पूर्वी उत्तरी कोने पर बाउण्ड्रीवाल के सहारे समानांतर मानसरोवर देखते हुए वि.प.नं. 2	
14.	MSZ-16	16' X 8'	गोपालपुरा बाईपास महेश नगर जाने वाले रास्ते से थोड़ा आगे नाले की पुलिया के उत्तरी-पूर्वी कोने पर।	
15.	MSZ-19	16' X 8'	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट के सामने संतोष नगर के पास ही आतिश बाजार देखते हुए वि.प.नं. 1	निरस्त वित्त समिति में प्रस्तावित
16.	MSZ-20	16' X 8'	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट के सामने सन्तोष नगर के कोने पर मानसरोवर देखते हुए वि.प.नं. 2	निरस्त वित्त समिति में प्रस्तावित

### मानसरोवर जौन

क्र. सं.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
17.	MSZ-34	16' X 8'	मानसरोवर, शिंप्रा पथ पर केजीपी स्कूल के पहले पश्चिमी ओर खाली पड़ी भूमि पर शिंप्रा पथ देखते हुए।	
18.	MSZ-45	16' X 8'	जे.एल.एन. मार्ग लाल बहादुर नगर पश्चिम जाने वाले मार्ग पर प्लाट नं. ए-६ के बाहर फुटपाथ पर जवाहर सर्किल देखते हुए।	निरस्त वित्त समिति में प्रस्तावित
19.	MSZ-47	30' X 15'	गोपालपुरा ROB के पास ROB के दक्षिणी ओर रेलवे बाउण्डरी वॉल के पास, बजरी मण्डी।	
20.	MSZ-48	30' X 15'	गोपालपुरा ROB के पास ROB के उत्तरी ओर रेलवे बाउण्डरी वॉल के पास।	
21.	MSZ-49	30' X 15'	टॉक रोड तारों की कूट पेट्रोल पम्प के सामने फुटपाथ पर।	NEW
22.	MSZ-50	30' X 15'	महारानी फार्म, गायत्री नगर जाने वाली रोड के सामने फुटपाथ पर।	NEW
23.	MSZ-51	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, लाल बहादुर नगर जाने वाले मार्ग पर खाली प्लाट की दीवार के समानान्तर दक्षिण कोने पर।	निरस्त वित्त समिति में प्रस्तावित
24.	MSZ-52	30' X 15'	टॉक रोड, ई.पी. सिनेमा के सामने, प्रेम निकेतन अस्पताल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	NEW
25.	MSZ-53	30' X 15'	शिंप्रापथ एस.एफ.एस.— वी २ बाईपास चौराहे पर, बिजली घर के सामने खाली पड़ी भूमि की दीवार के पास।	NEW
26.	MSZ-54	16' X 8'	शिंप्रापथ मोहन नगर पुलिया आने वाले रास्ते के टी पोइन्ट पर साइट संख्या MSZ-04 के पास एस.एफ.एस. की ओर	NEW
27.	MSZ-59	30' X 15'	आश्रम मार्ग जवाहर सर्किल आश्रम मार्ग के उत्तरी कोने पर फुटपाथ पर।	नई साइट वित्त समिति में प्रस्तावित
28.	MSZ-60	30' X 15'	जवाहर सर्किल के पीछे ट्रॅमिनल 2 एयरपोर्ट रोड पर, जय गुरुदेव सत्संग स्थल जाने वाले मार्ग पर एयरपोर्ट देखता हुआ।	नई साइट वित्त समिति में प्रस्तावित
29.	MSZ-61	30' X 15'	जवाहर सर्किल के पीछे ट्रॅमिनल 2 एयरपोर्ट रोड पर वेदविहार कॉलोनी के सामने फार्म हाउस के पास एयरपोर्ट देखता हुआ।	नई साइट वित्त समिति में प्रस्तावित

✓



**कार्यालय नगर निगम, जयपुर**  
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, मई 2012

साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

सिविल लाईन जोन

क्र. सं.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	CLZ - 05	16' X 8'	टॉक रोड सर्वाई मानसिंह गेट के उत्तरी कोने पर स्टेडियम की रैली के सहारे।	
2.	CLZ - 07	16' X 8'	सहकार मार्ग, लक्ष्मी मंदिर के आगे होटल जयपुर पैलेस के सामने गैस गोदाम की ओर फुटपाथ पर टॉक रोड देखते हुए।	
3.	CLZ - 12	16' X 8'	सहकार मार्ग, तेल भवन की दीवार के पास सहकार भवन देखते हुए।	
4.	CLZ - 41	16' X 8'	सरदार पटेल मार्ग, गवर्नर्मेंट प्रेस सर्किल, एम.इ.एस. की दीवार के सहारे फुटपाथ पर समानांतर।	
5.	CLZ - 46	16'X8'	स्टेशन रोड, मोतीलाल अटल रोड पर हैण्डलूम हवेली जाने वाले रास्ते के कोने पर	
6.	CLZ - 50	16' X 8'	सिरसी रोड, आप्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आप्रपाली सर्किल रोड देखते हुए सिरसी रोड तिराहे की ओर से वि.प्र.नं. 1	
7.	CLZ - 51	16' X 8'	सिरसी रोड, आप्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आप्रपाली सर्किल रोड देखते हुए सिरसी रोड तिराहे की ओर से वि.प्र.नं. 2	
8.	CLZ - 52	16' X 8'	सिरसी रोड, आप्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आप्रपाली सर्किल रोड देखते हुए सिरसी रोड तिराहे की ओर वि.प.नं. 3	
9.	CLZ - 54	16'X8'	वैशाली नगर, वैशाली सर्किल म.नं. बी-285 के सामने दीवार के समानांतर सर्किल देखते हुए।	
10.	CLZ - 55	16'X8'	वैशाली नगर, आप्रपाली सर्किल पर मल्टीमेक्स कॉम्प्लेक्स की ओर सर्किल देखते हुए।	
11.	CLZ - 57	16'X8'	वैशाली नगर, नर्सरी सर्किल के उत्तरी पूर्वी कोने पर समानांतर सर्किल देखते हुए आप्रपाली सर्किल की ओर से वि.प.नं. 1	
12.	CLZ - 59	16'X8'	वैशाली नगर, नर्सरी सर्किल के पास नेशनल हैण्डलूम के पास फुटपाथ पर समानांतर।	
13.	CLZ - 60	16' X 8'	वैशाली नगर, वर्धीस रोड, आप्रपाली तिराहे पर मिलेक्ट्री की दीवार के सहारे।	
14.	CLZ - 62	16' X 8'	हवा सड़क सोड़ाला थाने के पीछे।	निरस्त वित्त समिति में प्रस्तावित
15.	CLZ - 63	16' X 8'	गीजगढ़ हाउस, हवा सड़क।	
16.	CLZ - 64	16' X 8'	हवा सड़क, गीजगढ़ हाउस के सामने सोड़ाला देखते हुए।	
17.	CLZ - 86	16' X 8'	अशोक मार्ग, सी-स्कीम, अहिंसा सर्किल पर मेलबोर्न हाउस के गेट के पास फुटपाथ पर सुभाष मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.नं. 1	

### सिविल लाईन जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
18.	CLZ - 88	16'X8'	महावीर मार्ग, महर्षि दाधिच सर्किल पर म.नं. 12 की दीवार के सहारे फुटपाथ पर सर्किल देखते हुए।	
19.	CLZ - 90	16'X8'	टाक रोड़ फल मण्डी रोड़, नेहरू पैलेस के दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर समानान्तर।	
20.	CLZ - 91	16'X8'	संसार चन्द्र रोड़ होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की दीवार के समानान्तर।	
21.	CLZ -92	16' X 8'	सरदार पटेल मार्ग, गवर्मेंट हॉस्टल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	निरस्त वित्त समिति में प्रस्तावित
22.	CLZ - 93	16'X8'	एम.आई. रोड़ आकाशवाणी की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	
23.	CLZ - 94	16'X8'	विवन्स रोड़, झारखण्ड महादेव तिराहा, पैट्रोल पम्प के सामने मिलट्री दीवार के समांतर फुटपाथ पर।	
24.	CLZ - 97	16' X 8'	जमना लाल बजाज मार्ग, सिविल लाईन फाटक आर.ओ.बी. की ओर फुटपाथ पर जय गुरुदेव पान भण्डार के पास राजमहल होटल देखते हुए वि.प.नं. 2	NEW
25.	CLZ - 98	16' X 8'	रेल्वे स्टेशन हसनपुरा पुलिया, परिवहन मार्ग कल्पना ट्रेवल्स के सामने, रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास, कियोरक के पास, हसनपुरा आर.ओ.बी. की ओर से वि.प.नं. 1	निरस्त वित्त समिति में प्रस्तावित
26.	CLZ - 99	16' X 8'	रेल्वे स्टेशन हसनपुरा पुलिया, परिवहन मार्ग कल्पना ट्रेवल्स के सामने, रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास, कियोरक के पास, वि.प.नं. 2	निरस्त वित्त समिति में प्रस्तावित
27.	CLZ-103	30' X 15'	अजमेर रोड़, कर्वीस तिराहे पर पूर्वी-उत्तरी कोने पर	निरस्त वित्त समिति में प्रस्तावित



**कार्यालय नगर निगम, जयपुर**  
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

**यूनिपोल नीलामी सूची, मई 2012**  
**साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट**

आमेर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	AMZ-01	30' X 15'	आमेर रोड, शहीद बनकर्मी उधान के सामने, पार्किंग के पास फुटपाथ पर	साईज 16'X8' से 30X15' वित्त समिति में प्रस्तावित
2.	AMZ-02	16' X 8'	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर चैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.नं. 3।	
3.	AMZ-03	16' X 8'	आमेर, होटल के के. रॉयल डेज के पूर्वी गेट के सामने स्वर्ण जयंति रंगमंच की दीवार के पास कुण्डा देखते हुए।	
4.	AMZ-04	16' X 8'	आमेर रोड, कुण्डा से पहले ज्योति किलनीक के पास पूर्व की ओर बने रस्तीप लाईन के पास बाउण्डीबाल की दीवार के समानांतर।	
5.	AMZ-08	16' X 8'	आमेर रोड, होटल होलीडे इन के सामने कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर आमेर देखते हुए।	
6.	AMZ-16	30' X 15'	जल महल AMZ-02 के पास नाले की दीवार के पास होटल दरबार के पास।	NEW
7.	AMZ-17 NEW HMZ(W)-10 OLD	16' X 8'	आमेर रोड कुण्डा ज्योति किलनीक के पास।	

**हवामहल (पूर्व)**

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	HMZ (E)-03	16' X 8'	दिल्ली रोड बाईपास, ईदगाह के पास पूर्व की ओर से बाईपास रोड से वि.प.नं. 1	
2.	HMZ (E)-06	16' X 8'	दिल्ली रोड बाईपास, बंध की धाटी से पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने से एच.एम.जेड, ईस्ट-5 के पास ही समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.नं. 2	
3.	HMZ (E)-08	16' X 8'	दिल्ली रोड बाईपास, बंध की धाटी के पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने से समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.नं. 4	
4.	HMZ (E)-16	30' X 15'	आगरा रोड कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर कब्रिस्तान गेट के पश्चिम की ओर गोविंद मार्ग देखते हुए।	SIZE CHANGE
5.	HMZ(E)-18	30' X 15'	आगरा रोड कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर कब्रिस्तान गेट के पूर्व की ओर, गोविंद मार्ग देखते हुए	NEW



**कार्यालय नगर निगम, जयपुर**  
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

**यूनिपोल नीलामी सूची, मई 2012**  
**साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट**

**सांगानेर जोन**

क्र. सं.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	SNZ-42	16' X 8'	टॉक रोड, सीतापुरा ईपीआईपी को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टॉक रोड की ओर से वि.प.नं. 1	
2.	SNZ-44	16' X 8'	टॉक रोड, सीतापुरा ईपीआईपी को जाने वाले रास्ते के दक्षिण कोने पर टॉक रोड की ओर से वि.प.नं. 1	
3.	SNZ -53	16' X 8'	टॉक रोड सांगानेर पुलिया के आगे नीरजा सरस पालर के सामने बने शिव मंदिर की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर पुलिया देखते हुए।	
4.	SNZ -54	16' X 8'	टॉक रोड, प्रताप नगर हल्दीघाटी मार्ग के चौराहे पर पूर्वी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर जयपुर देखता हुआ।	
5.	SNZ -57	30' X 15'	सांगानेर रोड, मानसरोवर ROB के पास ROB के पूर्वी ओर RIICO रेल्वे लाइन के पास बने प्लाट नं. A-1 के पास	
6.	SNZ -58	30' X 15'	सांगानेर रोड, मानसरोवर ROB के पास ROB के पश्चिम ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास	
7.	SNZ -59	30' X 15'	टॉक रोड सीतापुरा ROB के पास, पूर्व की ओर इण्डियन ऑयल गोदाम के बाहर सांगानेर देखता हुआ।	NEW
8.	SNZ -60	30' X 15'	टॉक रोड सीतापुरा ROB के पास, दक्षिणी-पूर्व की ओर खाली भूमि के पास टॉक रोड देखता हुआ।	NEW

✓



## कार्यालय नगर निगम जयपुर

निर्मित बस शैल्ट्स की सूची  
नीलामी सूची, मई 2012

क्र. सं.	स्थान का विवरण	
1.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बांगड़ अस्पताल के बाहर	
2.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी के सामने	
3.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कॉनोडिया कॉलेज के बाहर	
4.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पोद्दार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सामने	
5.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जवाहर कला केन्द्र के बाहर	
6.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के बाहर	
7.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के सामने	
8.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस चौराहे से 50 मी. दूर, मालवीय नगर की ओर MNIT के बाहर	
9.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पेट्रोल पम्प के पास एमएनआईटी के सामने	
10.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, सरस डेयरी के सामने	
11.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी मेन गेट के पास, इंदिरा सर्किल की ओर	निर्मित नहीं
12.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, हनुमान मंदिर के पास, बजाज नगर मोड़ के सामने	निर्मित नहीं
13.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.के.लोन हॉस्पीटल के बाहर।	
14.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, उनियारा गार्डन के बाहर।	
15.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जेडीए के पास टाउन प्लानिंग के पास।	
16.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, डी-ब्लॉक मोड के पास।	
17.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर, डी-ब्लॉक मोड के सामने।	
18.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, लाल बहादुर मार्ग के सामने फोटिज के पास।	
19.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, आरयूआईडीपी के सामने क्लार्क होटल के पास।	
20.	कवींस रोड, झारखण्ड महादेव मंदिर के पास पूर्व की ओर	
21.	कवींस रोड, ब्रिगेडियर हाउस पूर्वी साईट	
22.	अजमेर रोड व कवीन्स रोड जवाहर (पूर्व दिशा में) नीलकण्ठ कॉलोनी गेट नं. 1 प्लाट नं. 35 के सामने मिलेकट्टी की दीवार के समानान्तर	शिफ्ट कर लगाना है।
23.	अजमेर रोड व कवीन्स रोड जवाहर (पश्चिम दिशा में)	
24.	कवीन्स रोड, गांधी पथ जवाहर पूर्व की ओर	
25.	कवीन्स रोड, भान नगर के सामने (पूर्व दिशा में)	
26.	कवीन्स रोड, राठौड़ नगर के पास (पश्चिम दिशा में)	
27.	कवीन्स रोड, आम्रपाली जंक्शन (पश्चिम दिशा में)	
28.	कवींस रोड, सिरसी रोड जंक्शन पश्चिम की ओर।	
29.	कवींस रोड, प्रिंस रोड जंक्शन पूर्व की ओर।	
30.	कवींस रोड, आम्रपाली मार्ग जंक्शन (पूर्व की ओर)	
31.	गोपालपुरा बाईपास, महेश नगर तिराहा 80 फीट के सामने	
32.	गोपालपुरा बाईपास रोड, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के सामने (त्रिवेणी नगर)	
33.	गोपालपुरा बाईपास रोड, 10-बी, स्कीम के पास रोड के पश्चिम की ओर पार्क के पास	शिफ्ट कर लगाना है।

क्र. सं.	स्थान का विवरण
34.	गोपालपुरा बाईपास रोड, सुभम् मार्बल 10-बी, रकीम के सामने
35.	गोपालपुरा बाईपास, गंगा-जमूना पेट्रोल पम्प के पास
36.	गोपालपुरा बाईपास, गंगा-जमूना पेट्रोल पम्प के सामने (संतोष नगर)
37.	गोपालपुरा बाईपास रोड, त्रिवेणी नगर चौराहा RHS गुर्जर की थड़ी।
38.	गोपालपुरा बाईपास, रिद्धि-सिद्धि के दायी तरफ (केसव विहार)
39.	एम. आई. रोड, रामनिवास बाग गेट के पास, एमआई रोड
40.	एम. आई. रोड, सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय के बाहर एम.आई. रोड
41.	एम. आई. रोड, न्यू गेट रामलीला मैदान के बाहर
42.	एम. आई. रोड, गोलछा स्कवायर के पास एम.आई.रोड
43.	एम. आई. रोड, गवरमेंट हास्टल टैक्सी रैण्ड एम.आई.रोड
44.	एम. आई. रोड, गणपति प्लाजा, हमरापुरा के बाहर एम.आई.रोड
45.	भवानी सिंह रोड, कर भवन के बाहर।
46.	सहकार मार्ग, इमली वाला फाटक पश्चिम की ओर
47.	सहकार मार्ग, ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने पश्चिम की ओर।
48.	सहकार मार्ग, जे.पी. फाटक के पास पश्चिम की ओर
49.	सहकार मार्ग, जयपुर पैलेस दक्षिणी ओर।
50.	सहकार मार्ग, ट्रांसपोर्ट ऑफिस से पूर्व की ओर।
51.	सहकार मार्ग, टिन्नी टायज स्कूल से पूर्व की ओर।
52.	सहकार मार्ग, लक्ष्मी मंदिरा सिनेमा
53.	गोपालपुरा बाईपास, रिद्धि-सिद्धि सर्किल
54.	भवानी सिंह रोड, एल.आई.सी. ऑफिस के बाहर



कार्यालय नगर निगम जयपुर  
ओवर हैंड साइनेज  
नीलामी सूची, मई 2012

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1.	एम.आई.रोड, गोवमेन्ट हॉस्टल के सामने।
2.	अजमेर रोड, कवीन्स रोड जंक्शन।
3.	कवीन्स रोड, प्रिंस रोड जंक्शन, पश्चिम की ओर।
4.	कवीन्स रोड, गांधी पथ जंक्शन।
5.	कवीन्स रोड, आम्रपाली जंक्शन।
6.	कवीन्स रोड, झारखण्ड मोड़ के पास, पश्चिम की ओर।
7.	कवीन्स रोड, सिरसी रोड जंक्शन, पूर्व की ओर।
8.	कलेक्टर रोड, खासा कोठी सर्किल के पास।
9.	कलेक्टर रोड, सेशन कोर्ट गेट नम्बर-1 के बाहर।
10.	कालवाड़ रोड, जोशी मार्ग के पास।
11.	कालवाड़ रोड, गोविन्दपुरा स्कीम के पास।
12.	टॉक रोड, फलाई ओवर के आगे, चौधरी पेट्रोल पम्प के सामने।
13.	खातीपुरा रोड, झोटवाडा पुलिया के पास।
14.	दिल्ली रोड, कुण्डा के पास।
15.	गोपालपुरा बाईपास रोड पर आतिश मार्केट के पास।



कार्यालय नगर निगम जयपुर  
निर्मित श्रमिक शैल्टर्स की सूची  
नीलामी सूची, मई 2012

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	खिरणी फाटक के पास, झोटवाडा।
2	नांगल जैसा बोहरा सीकर बाईपास पुलिया के पास।
3.	दादी का फाटक के पास, मुरलीपुरा।
4.	नीदड़ मोड़ के सामने, सीकर रोड़।
5.	नाडी का फाटक, ईटो की मण्डी बाईपास पुलिया
6.	सीकर रोड़, बालाजी टॉवर के बाहर, विद्याधर नगर
7.	कानोता बस स्टैण्ड के पास।

.....



कार्यालय नगर निगम जयपुर  
ट्राईएंग्यूलर साईनेज (रोड ऑयलैण्ड पर) की सूची  
नीलामी सूची, मई 2012

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर बिड़ला मंदिर ऑयलैण्ड पर।
2.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर दक्षिणी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
3.	जे.एल.एन. मार्ग, बजाज नगर जवाहर कला केन्द्र के पास बने आयैलैण्ड पर।
4.	टॉक रोड, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी. स्कूल के पास बने ऑयलैण्ड पर।
5.	टॉक रोड, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
6.	टॉक रोड, आश्रम मार्ग तिराहा दक्षिणी-पूर्वी ऑयलैण्ड पर।
7.	टॉक रोड, ई.पी. चौराहा उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
8.	झोटवाडा रोड, पानीपत तिराहा उत्तरी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
9.	शिप्रापथ एस.एफ.एस., वी-२ बाईपास, मानसरोवर के पूर्वी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
10.	अजमेर रोड, किंग्स रोड पर बने पश्चिमी ओर ऑयलैण्ड पर।



कार्यालय नगर निगम, जयपुर  
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

फ्लाई ओवर बेस कॉलम नीलामी, मई 2012

क्र.सं.	साइट नम्बर	बेस कॉलम संख्या	फ्लाई ओवर का नाम	
1.	MSZ-F1	4	टॉक रोड गोपालपुरा चौराहा	
2.	VDZ-F2	8	खासाकोठी चौराहा	



## कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

पुलियाओं पर गमले  
नीलामी सूची, मई 2012

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1.	जगतपुरा ROB
2.	सीतापुरा पुलिया ROB
3.	मानसरोवर पुलिया ROB
4.	खासाकोठी पलाईओवर

१



# कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

फिल्मी पोस्टर्स स्थानों की सूची

नीलामी सूची, मई 2012

क्र. सं.	स्थान का विवरण
1.	स्टेशन रोड, राजपुताना शीरेटन होटल जाने वाले रोड के कोने पर
2.	स्टेशन रोड, खासा कोठी स्कैल, गृह संबंध के सामने
3.	स्टेशन रोड, नयक सिनेमा के पास, पारीक कॉलेज रोड के सामने
4.	ज्ञानवाड़ा रोड, ज्ञानवाड़ा अस्पताल के पास
5.	ज्ञानवाड़ा रोड, बीताने केवट्री के पास, चौराहे पर
6.	ज्ञानवाड़ा रोड, बारीच नेहर नगर जाने वाले रास्ते के सामने, इन्द्रा कॉलोनी पार्क के पास
7.	शास्त्री नगर, कावटीया स्कैल बस स्टैण्ड के पास
8.	कलद्वारे स्कैल, कबीर मार्ग के कोने पर
9.	संसार चन्द रोड, पारालखने की दीवार के सामान्तर
10.	स्टेशन रोड, पुलिस लाईन के सामने
11.	संसार चन्द रोड, एम.एल.ए. ब्लॉक, जालपुरा के कोने पर
12.	संसार चन्द रोड, आनंद भवन के सामने, सिद्धिल डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर
13.	अंजमें रोड, सोडाला थाने के पौछे, हवा सुख पर
14.	हंसपुरा, जोकब रोड, रेल्वे कॉलोनी चौराहे पर
15.	4 नम्बर डिस्ट्रीब्यूशन, अंजमें रोड
16.	सरदार पटेल मार्ग, गवर्नरेट प्रेस स्कैल, लड्डी पथ के बीच पर
17.	एम.आई. रोड, न्यू कॉलोनी, गोपीनाथ मार्ग पर जानवरों के अस्पताल के पास
18.	एम.आई. रोड, रेमण्ड शोरून के सामने, महीजा चैम्पर की गली में
19.	महावीर मार्ग, सरखटी मार्ग के सामने
20.	अशोक मार्ग के पास, महावीर मार्ग जय कलब के सामने
21.	टिडला नदियों के पौछे टिला नगर विश्वास
22.	टोक रोड, अंजमें गेट, सांगमनेर जाने वाले बस स्टैण्ड के पास
23.	टोक रोड, अंजमें गेट, स्कूल की दीवार के पास
24.	टोक रोड, सुधना केन्द्र डिग्नी हाउस जाने वाले रास्ते के कोने पर
25.	टोक रोड, आरोप्य मार्ग, नहाराजा कॉलेज की दीवार के पास एस.एम.एस. अस्पताल गेट के सामने
26.	टोक रोड, लझी विलास होटल की दीवार के साहरे
27.	टोक रोड, नाशयन सिंह तिराहा, नाशयन निवास के सामने
28.	टोक रोड, सुखेंद्र कॉलेज, रिजर्व बैंक पेट्रोल पथ के पास
29.	पूर्णीशाज मार्ग, बाबिलिया भवन के सामने
30.	टोक रोड, यूनिवर्सिटी रोड, प्राकृतिक विकित्सालय की दीवार के पास
31.	टोक रोड, फर्स्ट सिनेमा, आश्रम मार्ग
32.	टोक रोड, नेटरू पैलेस सब्जी मार्की के पास
33.	लालकोठी रस्ते, विनानशमा रोड
34.	टोक रोड, बकत नगर रेल्वे क्रासिंग के सामने
35.	टोक रोड, दुर्गापुरा बस स्टैण्ड के पास, गोशाला के बाहर
36.	टोक रोड, गणी नगर रेल्वे स्टेशन बजाज उद्योग के पास
37.	सहकार मार्ग, लझी मंदिर सिनेमा के पास, रेल्वे फाटक के सामने
38.	सहकार मार्ग, इमली फाटक के पास
39.	मालवीय नगर गुलीया के पास, पेट्रोल पथ के सामने
40.	मोतीझुगरी रोड, धनीसिंह स्कैल के मंदिर की ओर
41.	मोतीझुगरी रोड, खरखूजा मार्की, पम हाउस के पास
42.	राजपाल, एस.वी.एस. कॉलेज के सामने, पार्क की दीवार के पास
43.	जयाहर नगर, नहरखटी रस्ते के पास, बस स्टैण्ड सेक्टर 4
44.	जयाहर नगर, मामा होटल के आगे, जयाहर नगर मार्केट
45.	एम.आई.रोड, सरावनी मैनेशन के सामने
46.	गोविंद मार्ग, भगवत लिंग पार्क के पास, गुरुद्वारे के सामने
47.	आगरा रोड, अंकुर सिनेमा के सामने गली के कोने पर
48.	आगरा रोड, अवाल कॉलेज के सामने, पेट्रोल पथ की गली के कोने पर
49.	न्यू गेट, रामलीला मैदान के सामने, रंगमंच की दीवार के पास
50.	आमेर रोड, जोशवर सिंह गेट के पास, पारस सिनेमा के सामने
51.	आमेर रोड, रामगढ़ मोड से पहले